

**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 5030**  
**26 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए**

**ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का निर्यात/आयात**

**5030. श्री ओम बिरला:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा निर्यातित और आयातित ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की कुल मात्रा का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या हाल के वर्षों के दौरान ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के मूल्य में भारी वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप इस्पात विनिर्माता, विशेष रूप से छोटे स्तर पर, भारतीय बाजार में काम करने में अक्षम हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा छोटी इस्पात इकाइयों को राहत प्रदान करने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;
- (ग) क्या सरकार ने स्थानीय छोटे इस्पात इकाइयों को राहत प्रदान करने हेतु ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड पर एक निर्यात कर लगाया है या लगाए जाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) देश में छोटी इस्पात कंपनियों के विकास को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**इस्पात राज्य मंत्री**

**(श्री विष्णु देव साय)**

(क): गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारतीय फर्मों द्वारा ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का किए गए आयात और निर्यात की मात्रा निम्नवत है:

(मात्रा टन में)

वर्ष	आयात	निर्यात
2014-2015	13,771.9	69,044.3
2015-2016	6,852.1	52,778.3
2016-2017	4,056.7	62,575.7
अप्रैल-नवंबर 2016	3,018.2	35,019.7
अप्रैल-नवंबर 2017	2,600.8	52,278.2

स्रोत: डीजीएफटी, वाणिज्य मंत्रालय

(ख) और (ग): माँग-आपूर्ति में अंतर होने के कारण विशेष रूप से अगस्त, 2017 के बाद ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की कीमत में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर वृद्धि हुई है। चूँकि, इस्पात क्षेत्र नियंत्रणमुक्त है, इसलिए इस्पात निर्माताओं पर कीमतों से पड़ने वाला प्रभाव ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के आपूर्तिकर्ताओं के साथ हुए वाणिज्यिक व्यवस्थाओं और तत्काल बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है। सरकार ने वित्त विधेयक, 2018 में उपयुक्त संशोधन करके ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड पर 20% निर्यात शुल्क लगाने का प्रावधान किया है।

(घ): देश में छोटी इस्पात कंपनियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 08 मई 2017 को राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 अधिसूचित की गई है जिसमें अन्य के साथ-साथ छोटी इस्पात कंपनियों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए कच्चे माल की उपलब्धता और कम ऊर्जा खपत वाली प्रौद्योगिकियों इत्यादि को प्रोत्साहन प्रदान किया गया है।

\*\*\*\*\*